न्यायालय :– वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मांगरोल, जिला–बारां

सरकार / बनाम 1. हुकमाराम S/o बद्रीराम R/o सोमनगर PS नया शहर जिला बीकानेर अभि.

2. मुख्तार अहमद S/o अब्दुल मजीद R/o रहमत नगर PS मांगरोल जामिन

फौज. मुत्त. सं. RJBR0D0006732026

तारीख दायर :– cis ~~ [153/26]

तारीख फैसला :–

आपराधिक प्रकरण संख्या 361/18 आगामी पेशी 14/08/2026 सरकार बनाम हुकमाराम जुर्मदफा 279, 337, 338 IPC दिनांक 24/10/2018 को अभियुक्त ने 10000/- 10000/- रूपये की जमानत पेश की थी व उसके जामिक ने जमानतें रुपये पेश की थी कि उक्त अभियुक्त न्यायालय में दिनांक 21-02-2019 को तथा आगामी पेशीयों पर उपस्थित होता रहेगा, किन्तु अभियुक्त हुकमाराम दिनांक 29-07-2026 को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है तथा उसके मुचलके जप्त किये जा चुके हैं। न्यायालय के आदेशानुसार उक्त अभियुक्त व जामिन के विरुद्ध यह आरोप अलग से धारा–446 प्र.द.प्र.सं. के .... अधीन कार्यवाही हेतु कायम किया जाता है।

मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा गैर सायल को धारा–446 दं.प्र.सं. के नोटिस जारी होकर दिनांक ....को पेश हो।

14/8/26

गैरसायलान की और से जवाब पेश किया। जवाब को अवलोकन किया एवं सुना गया। उनका जवाब संतोषप्रद प्रतीत नहीं होता है अतः उनके जमानत मुचलके की राशि में से प्रत्येक के 1000/- रूपये जप्त किये जाकर वसूल करने के आदेश दिये जाते हैं।

~~एक हजार मात्र~~

मुताबिक आदेश 1000/- ~~रूपये~~ जमा कराये जो रसीद संख्या 128536132 पर जमा किये गये। एक हजार मात्र

पत्रावली में कोई कार्यवाही शेष नहीं है, फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Sd/-

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
मांगरोल, जिला बारां

मोहर